प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नफीस उर्फ आफताब उर्फ पप्पू उर्फ घोंचू पुत्र मो० याकूब, निवासी जनपद-कानपुर देहात की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023), दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नफीस उर्फ आफताब उर्फ पप्पू उर्फ घोंचू पुत्र मो० याकूब, तलैइया, कस्बा-बारा, थाना-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है। दिनांक 06.12.2000 को बन्दी ने श्रीमती ममता देवी के साथ बलात्कार करने के उपरान्त साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी जिससे गर्भ में 08 माह बच्चे की भी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-55/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्र० क्षेत्र), कानपुर देहात के आदेश दिनांक 19.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बंदी दिनांक 23.01.2023 को जमानत/मुचलके पर रिहा हो चुका है। बंदी के ऊपर एक अन्य वाद लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.01.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष, 11 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 02 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से छूटने पर अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी की आयु कम होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 06.12.2000 को श्रीमती ममता देवी के साथ बलात्कार करने के उपरान्त साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी जिससे गर्भ में 08 माह बच्चे की भी मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट **1938** की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नफीस उर्फ आफताब उर्फ पप्पू उर्फ घोंचू पुत्र मो० याकूब को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नफीस उर्फ आफताब उर्फ पप्पू उर्फ घोंचू (बन्दी संख्या-19339) पुत्र मो० याकूब, निवासी जनपद-कानपुर देहात के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1346/2025/3753(1)/22-2-2023 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1346/2025/3753/22-2-2023-17(1330)/2023

दिनांक: 12 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नफीस उर्फ आफताब उर्फ पप्पू उर्फ घोंचू पुत्र मो० याकूब, तलैइया, कस्बा-बारा, थाना-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है। दिनांक 06.12.2000 को बन्दी ने श्रीमती ममता देवी के साथ बलात्कार करने के उपरान्त साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी जिससे गर्भ में 08 माह बच्चे की भी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-55/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्र० क्षेत्र), कानपुर देहात के आदेश दिनांक 19.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बंदी दिनांक 23.01.2023 को जमानत/मुचलके पर रिहा हो चुका है। बंदी के ऊपर एक अन्य वाद लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.01.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष, 11 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 02 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से छूटने पर अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी की आयु कम होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 06.12.2000 को श्रीमती ममता देवी के साथ बलात्कार करने के उपरान्त साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी जिससे गर्भ में 08 माह बच्चे की भी मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नफीस उर्फ आफताब उर्फ पप्पू उर्फ घोंचू पुत्र मो० याकूब को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।